# न्यायालय तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

**राजस्व प्रकरण मामला संख्या 19/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956**

| **सायल** | **बनाम** | **गैर सायल** |
|---|---|---|
| राजस्थान राज्य<br>जरिये पटवारी हल्का धारवीकलां । | | लालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह<br>जाति पुरोहित निवासी स्वरूपनगर। |

**"निर्णय"** **दिनांक 14.08.2025**

पत्रावली आज बमुकाम शिव में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **धारवीकलां** ने धारा आर.एल.आर. एक्ट 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा **स्वरूपनगर** के खसरा नं **525/363** रकबा **86.0846** हैक्टेयर भूमि मे से **0.0404** हैक्टेयर किस्म **गैर मुमकिन मगरा** राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और एक के अलावा गैर सायल अनुपस्थित होने पर पटवारी रिर्पोट व भू.अ.निरीक्षक जांच अनुसार अतिक्रमण किया हुआ पाया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 06.00 पूर्णांक में 06.00 अक्षरे छः रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है । जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत **गूंगा** को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल/सामग्री को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर नीलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करें।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 14.08.2025 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार शिव
जिला-बाड़मेर